

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा.(I) व² -37/2012-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,पटना

विषय- विभागान्तर्गत एक निष्प्रायोजित एवं रद्दीकृत वाहन के स्थान पर एक नया वाहन TATA SAFARI STORM VX 4x2 (Euro IV) के क्रय हेतु रू० 14,63,000=00 (चौदह लाख तीरसठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त राशि की अग्रिम निकासी कर अधिकृत विक्रेता को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने दिनांक 11.02.2015 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के उपयोग हेतु विभागान्तर्गत एक निष्प्रायोजित एवं रद्दीकृत वाहन के स्थान पर एक नया वाहन TATA SAFARI STORM VX 4x2 (Euro IV) के क्रय हेतु रू० 14,63,000=00 (चौदह लाख तीरसठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि विमुक्त करने स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के गैर योजना बजट के मुख्यशीर्ष- 2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0001-तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधीन 51 01 मोटरगाड़ी विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- N 2203000010001 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से वाहन के अधिकृत विक्रेता GUINEA MOTORS (P) LTD. PATNA को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

6. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. अग्रिम निकासी की गई राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर इसके सामायोजन हेतु डी.सी. विपत्र संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(1) व² -37/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के अपर सचिव


ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(1) व² -37/2012-

3033 /पटना, दिनांक- 29-12-015

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/अवर सचिव/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), बजट शाखा, आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पु.स. 20 -


28/12/15



सरकार के अपर सचिव

अन्तर्-29-12-15